इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर 2011—अग्रहायण 1, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2011

क्र. 24125-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 22 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०११ है.

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"८.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर.	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, एन.एच.-26, ग्राम सिरोंजा, सागर (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
९.	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना.	एकेएस पूर्त न्यास, सतना.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	एकेएस विश्वविद्यालय, शेरगंज, पन्ना रोड, सतना (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग द्वारा राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन किए जाने का उपबंध करती है. उक्त उपबंध के अधीन विनियामक आयोग ने स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर और एकेएस विश्वविद्यालय, सतना के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए उक्त विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिये हैं. उक्त अधिनियम की धारा ९ में उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टयों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ४ नवम्बर, २०११.

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.